अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 74, पोर्ट ब्लेयर, गुरुवार, 26 अप्रैल, 2018

No. 74, Port Blair, Thursday, April 26, 2018

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 26 अप्रैल, 2018

सं. 73/2018/फा.सं. टी.पी.–76/सी.ई./2015/पी.एफ./39.— अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह शहर एंव ग्राम योजना विनियम, 1994 के धारा 3 के उप–धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं दिनांक 13.03.2015 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 35 (फा.सं. टी.पी.–76/सी.ई./2015/पी.एफं./39.) का अतिक्रमण करते उप राज्यपाल (प्रशासक), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा कॉलम सं. 2 में उल्लेखित अधोलिखित अधिकारियों को कॉलम सं. 4 में उनके नाम के समक्ष उल्लेखित हैवलॉक एवं नील द्वीपों के विकास क्षेत्र के संबंधित क्षेत्र के लिए 'प्राधिकृत अधिकारी/अनुवीक्षण एंव प्रवर्तन अधिकारी' के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रमांक	पदनाम	प्राधिकृत अधिकारी/अनुवीक्षण एंव प्रवर्तन अधिकारी की नियुक्ति	प्राधिकृत अधिकारी/अनुवीक्षण एंव प्रवर्तन अधिकारी का क्षेत्राधिकार/अधिकारिता
1	2	3	4
(क)	पंचायत सचिव, श्याम नगर ग्राम पंचायत, हैवलॉक द्वीप	प्राधिकृत अधिकारी, श्याम नगर ग्राम पंचायत, हैवलॉक द्वीप	श्याम नगर ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें राजस्व गाँव कृष्णा नगर, श्याम नगर, विजय नगर एवं राधा नगर शामिल होंगे।
(ख)	पंचायत सचिव, गोविंद नगर ग्राम पंचायत, हैवलॉक द्वीप	प्राधिकृत अधिकारी, गोविंद नगर ग्राम पंचायत, हैवलॉक द्वीप	गोविंद नगर ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें राजस्व गाँव गोविंद नगर शामिल होंगे।
(ग)	पंचायत सचिव, नील केन्द्र ग्राम पंचायत, नील द्वीप	प्राधिकृत अधिकारी, नील केन्द्र ग्राम पंचायत, नील द्वीप	नील केन्द्र ग्राम पंचायत क्षेत्र जिसमें राजस्व गाँव लक्ष्मणपुर, नील केन्द्र, राम नगर, भरतपुर एवं सीतापुर शामिल होंगे।
(घ)	राजस्व निरीक्षण, सर्कल सं. 1, हैवलॉक एवं नील द्वीप	अनुवीक्षण एंव प्रवर्तन अधिकारी	हैवलॉक एवं नील द्वीप का संपूर्ण क्षेत्र

1. प्राधिकृत अधिकारी एवं अनुवीक्षण –व– प्रवर्तन अधिकारी, हैवलॉक एवं नील द्वीपों के मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के लिए विनियम की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त नगर योजनाकार की सहायता करेगा।

2. उपरोक्त नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के कार्य अधोलिखित होंगे :–

(i) प्राधिकृत अधिकारी फार्म सं. V में योजना अनुमति एवं भवन योजना की अनुमोदन तथा लेआऊट की अनुमति जारी करने से संबंधित सभी आवेदनों को प्राप्त करेंगे और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप नगर एवं ग्राम योजना नियमावली, 2005 के फार्म सं. VI में पावती जारी करेंगे।

(ii) प्राधिकृत अधिकारी हैवलॉक एवं नील द्वीपों के मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार नियमावली के फार्म सं. VII में प्रत्येक भूमि उपयोग अंचल में साधारणतयः अनुज्ञप्त वर्ग के तहत सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए योजना अनुमति जारी करेगा एवं 200 वर्ग मीटर तक वाले प्लॉट में सभी प्रकार के विकास कार्यों के लिए भवन योजनाओं का अनुमोदन करेगा एवं भूमि पर लेआऊट प्रस्ताव, जिसका कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर तक का हो और प्लॉटों की संख्या 08 से अधिक न हो, को अनुमोदित करेगा और इसकी सूचना नगर योजनाकार तथा अनुवीक्षण एंव प्रवर्तन अधिकारी को प्रदान करेगा।

(iii) 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्लाटों के लिए योजना अनुमति जारी करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों प्रत्येक भूमि–उपयोग अंचल में विशेष मंजूरी वर्ग के तहत अनुमति प्रदान करने योग्य प्रस्ताव एवं भूमि पर लेआऊट प्रस्तावों जिसमें या तो 08 से अधिक प्लॉट हो या जिसकी कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से अधिक हो, ऐसे प्रस्तावों को प्राधिकृत अधिकारी अनुमोदन के लिए नगर योजनाकार को अग्रेषित करेगा। नगर योजनाकार से योजना अनुमति प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी भवन योजना को अनुमोदित करेंगे और इसकी सूचना नगर योजनाकार तथा अनुवीक्षण एवं प्रवर्तन अधिकारी को देंगे।

(iv) आवेदक के द्वारा अनुमोदन भवन योजना/ लेआऊट प्लान के अनुसार भवनों/ लेआऊट के निर्माण कार्य को पूरा करने पर प्राधिकृत अधिकारी समापन प्रमाण–पत्र जारी करेगा। अनुमोदित भवन योजना/ लेआऊट प्लान के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता नगर योजनाकार के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

3. उपरोक्त नियुक्त अनुवीक्षण एवं प्रवर्तन अधिकारी के कार्य अधोलिखित होंगे :–

(i) अनुवीक्षण एवं प्रवर्तन अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में होने वाले विकास कार्यों पर समग्र देख–रेख करना होगा और वह अपने क्षत्र में होने वाले विकास कार्यों के लिए वैध अनुमति है या नहीं के अनुवीक्षण के उत्तरदायी होंगे और भवनों/ लेआऊटों के विकास कार्यों का विभिन्न चरणों पर जाँच करेगा और यह भी सुनिश्चत करेगा कि ऐसे विकास कार्य अनुमोदित भवन योजना/ अनुमोदित लेआऊट प्लान, जैसा भी मामला हो, के अनुसार हो रहा है या नहीं। अनुमोदित योजना के अनुसार विकास कार्यों के निष्पादन की जाँच हेतु तकनीकी सहायता नगर योजनाकार के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) लेआऊटों के अप्राधिकृत विकास एवं भवनों के अप्राधिकृत निर्माण, अनुमोदित भवन योजनाओं के अतिक्रमण को विनियमित करने के लिए अनुवीक्षण एवं प्रवर्तन अधिकारी को एतद्द्वारा उक्त विनियम में निहित सभी आवश्यक दांडिक प्रावधानों का नगर योजनाकार के अनुमोदन से अवलंब करने के लिए सशक्त करते हैं।

प्राधिकृत अधिकारीगण तथा अनुवीक्षण एवं प्रवर्तन अधिकारी हैवलॉक एवं नील द्वीपों के मास्टर प्लान के प्रावधानों तथा अनुमोदित भवन योजना एवं लेआऊट प्लान के व्याख्यान से संबंधित किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नगर योजनाकार से प्राप्त कर सकते हैं।

उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
संयुक्त सचिव (लो.नि.वि./श.वि.)

MGPPB—74/Gazette/2018— 115 Copies. (DR-HCL-X)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette
सत्यमेव जयते
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority
सं. 74, पोर्ट ब्लेयर, गुरुवार, 26 अप्रैल, 2018
No. 74, Port Blair, Thursday, April 26, 2018

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय / SECRETARIAT

NOTIFICATION

Port Blair, dated the 26th April, 2018.

No. 73/2018/F. No. TP-76/CE/2015/PF/39.— In exercise of the powers conferred upon him under Sub-Section (1) of Section 3 of Andaman & Nicobar Islands Town & Country Planning Regulation, 1994, and in supersession to the Gazette Notification No. 35 dated 13/03/2015 (File No. TP-76/CE/2015/PF/39), the Lt. Governor (Administrator), A & N Islands is pleased to appoint the following Officers mentioned in Column No. 2 of as 'Authorized Officers'/'Monitoring & Enforcement Officer' for the respective area of Havelock & Neil Islands Development Area mentioned against them in Column No. 4.

Sl. No.	Designation	Appointment of Authorised Officers/ Monitoring and Enforcement Officers	Jurisdiction of Authorised Officers/ Monitoring and Enforcement Officers
1	2	3	4
a)	Panchayat Secretary, Shyam Nagar Gram Panchayat, Havelock Island	Authorised Officer, Shyam Nagar Gram Panchayat, Havelock	Shyam Nagar Gram Panchayat area consists of Krishna Nagar, Shyamnagar, Vijay Nagar and Radhanagar revenue villages
b)	Panchayat Secretary, Govind Nagar Gram Panchayat, Havelock Island	Authorised Officer, Govind Nagar Gram Panchayat, Havelock	Govind Nagar Gram Panchayat area consists of Govind Nagar revenue village
c)	Panchayat Secretary, Neil Kendra Gram Panchayat, Neil Island	Authorised Officer, Neil Kendra Gram Panchayat, Neil Island	Neil Kendra Gram Panchayat area consists of Lakshmanpur, Neil Kendra, Ramnagar, Bharatpur and Sitapur revenue villages
d)	Revenue Inspector, Circle No. I, Havelock & Neil Islands	Monitoring and Enforcement Officer	Entire Havelock & Neil Islands

1. The Authorised Officers and Enforcement & Monitoring Officer shall assist the Town Planner appointed under the Sub-Section (1) of Section 3 of the Regulation for Implementation of Master Plan for Havelock & Neil Islands.

2. The functions of the Authorised Officers appointed above shall be as below:-

   i) Authorised Officer shall receive all applications for issue of Planning Permission & Approval of Building Plan and Approval of Layouts in Form No. V and issue acknowledgment in Form No. VI of the Andaman & Nicobar Islands Town & Country Planning Rules, 2005.

ii) Authorised Officer shall issue Planning Permission for all development under normally permitted category in each landuse zone in Form No. VII of the Rules and Approval of Building Plans for all development in plots having area not more than 200 Sqm. and Approve Layout Proposals on sites not exceeding 8 number of plots with total area up to 1000 Sqm. as per the provisions of Master Plan for Havelock & Neil Islands, under intimation to the Town Planner & Monitoring and Enforcement Officer.

iii) The proposals for issue of Planning Permission in plots having area more than 200 Sqm. proposals under Special Sanction Category permissible under each landuse zone and Layout proposals for sites exceeding either 8 number of plots or area more than 1000 Sqm. Authorised Officer shall forward it to the Town Planner for approval. Upon receipt of the Planning Permission from the Town Planner, the Authorised Officer may issue the Approval of Building Plan, under intimation to the Town Planner & Monitoring and Enforcement Officer.

iv) The Authorized Officer shall issue Completion Certificate upon completion of the buildings & layouts by the applicant in compliance with the Approved Building Plan/Layout Plan. Technical Assistance for ensuring the compliance of the Approved Building Plan/Layout Plan can be availed from the Office of the Town Planner.

3. The functions of the Monitoring and Enforcement Officer appointed above shall be as below:-

i) The Monitoring and Enforcement Officer shall have overall watch on the development in his jurisdiction and is responsible to monitor the developments have valid permissions and verify the development of Buildings /Layouts at various stages at site goes as per the Approved Building Plan or Approved Layout Plan as the case may be. Technical Assistance for verifying the development in compliance with the Approved Plan can be availed from the Office of the Town Planner.

ii) Monitoring and Enforcement Officer is hereby empowered to invoke all the necessary penal provisions contained in the Regulation, to regulate the unauthorised development of Layouts & construction of Buildings, violation of Approved Building Plans and Layouts, with the approval of Town Planner.

The Authorised Officers and Monitoring and Enforcement Officer may seek clarifications, if any regarding interpretation of the provisions of the Master Plan for Havelock & Neil Islands and Approved Building Plan & Layout Plan from the Town Planner.

Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lieutenant Governor,

Sd./-
Joint Secretary (PWD/UD)

MGPPB— 74/Gazette/2018— 115 Copies. (SB-HCL-XII)